रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 जुलाई, 1984/6 श्रावण, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह (जेल) विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल शिमला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल शिमला के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ।

1428-राजपत्र/84-28-7-84—1,145. मूल्य : 20 पैसे ।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल शिमला के जी0 डी0 ओ0-I और जी0डी0ओ0-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल ऊना के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल ऊना के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल ऊना के जी0डी0ओ0-I और जी0डी0ओ0-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल सोलन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जल सोलन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल सोलन के जी0डी0ओ-I और जी0डी0ओ-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल कुल्लू के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल कुल्लू के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल कुल्लू के जी0डी0ओ-I और जी0डी0ओ-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल धर्मशाला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल धर्मशाला के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल धर्मशाला के जी0डी0ओ0-I और जी0डी0ओ-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्यांक गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल मण्डी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल मण्डी के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल मण्डी के जी0डी0ओ0-I और जी0डी0ओ-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल चम्बा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल चम्बा के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल चम्बा के जी0डी0ओ0-I और जी0डी0ओ0-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल हमीरपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल हमीरपुर के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल हमीरपुर के जी0डी0ओ-I और जी0डी0ओ-II को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

शिमला-2, 28 जून, 1984

संख्या गृह ख(ख) 6-1/84-जेल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल बिलासपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सब-जेल बिलासपुर के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो प्रतिदिन जेल का निरीक्षण करेगा और उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अस्पताल बिलासपुर के जी0डी0ओ-I और जी0डी0ओ-II की चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं जो उपरोक्त रूप से नियुक्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित चिकित्सा अधिकारी के सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

आदेश द्वारा,
ए0 एन0 विद्यार्थी,
सचिव (कारागार)।

गृह विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 12 जुलाई, 1984

संख्या गृह (ए0)(13)-1/82.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए)(एफ0)(13) 1/82, दिनांक 21-12-1983 जो कि राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार (असाधारण), दिनांक 18-2-1984 के अंक में प्रकाशित हुई थी के सन्दर्भ में तथा मैनोवर फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला लाहौल-स्पिति में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11-60/68-गृह (ए0) दिनांक 1 जुलाई, 1981 द्वारा परिभाषित क्षेत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी प्रैक्टिस को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय में सहर्ष प्राधिकृत करते हैं :—

जुलाई, 1984	सितम्बर, 1984
15 से 21 तक	07 से 13 तक
अगस्त, 1984	20 से 26 तक
05 से 11 तक	
23 से 29 तक	

अक्तूबर, 1984	मार्च, 1985
04 से 08 तक	05 से 11 तक
09 से 10 तक	
21 से 27 तक	23 से 29 तक
नवम्बर, 1984	अप्रैल, 1985
6 से 12 तक	05 से 11 तक
दिसम्बर, 1984	24 से 30 तक
08 से 14 तक	मई, 1985
जनवरी, 1985	05 से 11 तक
06 से 12 तक	21 से 27 तक
फरवरी, 1985	जून, 1985
08 से 14 तक	02 से 08 तक

ए० एन० विद्यार्थी,
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-2, 16 जुलाई, 1984

संख्या गृह (ए) ए (3) 2/82.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तिथि 4-2-84 को प्रकाशित इस सरकार की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 21 जनवरी, 19 4 को अधिक्रान्त करते हुए तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिशों के अनुसार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 की उपधारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए सलाहकार बोर्ड का तत्काल प्रभाव के रूप में पुनर्गठन करते हैं अर्थात् :—

(1) माननीय न्यायमूर्ति श्री टी० आर० हाण्डा
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। — अध्यक्ष

(2) माननीय न्यायमूर्ति श्री व्योम प्रकाश गुप्ता,
हिमाचल प्रदेश न्यायालय के न्यायाधीश। — सदस्य

(3) श्री आर० एस० ठाकुर,
जिला एवं सैशन जज
न्यायाधीश, शिमला खण्ड। — सदस्य

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
आयुक्त एवं सचिव।

DIRECTORATE OF CONSOLIDATION OF HOLDINGS

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 13*th July*, 1984

No. Rev. (CH)-(P)-HMR/50/86-3760-83.—In the interest of general public and for the purpose of better cultivation of land, I, Dhani Ram Director of Consolidation of Holdings, Himachal Pradesh in exercise of the powers under sub-section 14 of the Himachal Pradesh Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1971 as delegated to me *vide* Notification No. 9-1/73 Rev. II, dated 4th May, 1977 hereby declare the intention of the Himachal Pradesh Government to make the scheme for Consolidation of Holdings for the under-mentioned estates :—

S. No.	Name of Tikka	Name of Mauza	No. H.B.	Total area in acres	Tehsil	District
1.	Lahed	Bhupal	20	20	Nadaun	Hamirpur
2.	Khurkhyal	-do-	-do-	12	-do-	-do-
3.	Siyoti	-do-	-do-	36	-do-	-do-
4.	Chroti	-do-	-do-	34	-do-	-do-
5.	Chadamb	-do-	-do-	31	-do-	-do-
6.	Randhar	-do-	-do-	123	-do-	-do-
7.	Ghumarta	Jalari	19	64	-do-	-do-
8.	Dhunial	Bhupal	20	26	-do-	-do-
9.	Ambi	-do-	-do-	41	-do-	-do-
10.	Bahal	-do-	-do-	48	-do-	-do-
11.	Tunial	-do-	-do-	32	-do-	-do-
12.	Janglu	Jalari	19	185	-do-	-do-
13.	Rangar	—	58	849	Sujanpur	-do-
14.	Patlandhar	—	57	150	-do-	-do-
15.	Johl Hambri	—	58	615	-do-	-do-
16.	Plian	Chorki Maniar	—	598	Bangana	Una
17.	Panjora	-do-		513	-do-	-do-
18.	Joal	-do-		875	-do-	-do-
19.	Umari-ki-Behar	-do-		120	-do-	-do-

DHANI RAM,
Director.

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 6 जुलाई, 1984

संख्या पी0सी0एच0-के0जी0आर-4370-4400.—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-के0जी0आर0-1747, दिनांक 4 अप्रैल, 1984 में आंशिक संशोधन करते हुए, मैं, देवस्वरूप, आई0ए0एस0,

उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नूरपुर तथा देहरा की निम्न ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या पुनः निर्धारित करता हूं :—

क्रम सं0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभा का नाम	जनसंख्या	सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नूरपुर	नूरपुर	1. पुन्दर	1982	7
			2. डोल	1990	7
			3. भडवाड़	2375	9
			4. छत्तर	3464	9
			5. सुलयाली	3200	9
			6. उपरली हरल	1110	7
2.	देहरा	देहरा	1. मूहल	1857	7

देव स्वरूप,
उपायुक्त, कांगड़ा।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 9 जुलाई, 1984

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-5/84.—क्योंकि श्री धनी राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत मनाली, जिला कुल्लू के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं :—

कि उन्होंने श्री पन्ना लाल सुपुत्र श्री उदय राम, मनाली को अपने माता-पिता से अलग रहने का प्रमाण-पत्र जारी किया परन्तु जब इस सम्बन्ध में जिलाधीश कुल्लू के सन्मुख नौतोड़ रिवीजन संख्या 56/डी0सी0-82-83 का मामला चला तो उक्त उप-प्रधान ने अपना ब्यान बदल दिया।

और क्योंकि उक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री प्यार चन्द के विरुद्ध लगाये गए आरोप की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) जांच करवाने हेतु जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं, वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र जिलाधीश कुल्लू को प्रेषित कर देंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक मुद्रण, तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।